न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी०एक्ट),
सन्त कबीर नगर।

(UPSK010015882026)
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–124/2026
रामसुभग–––बनाम –––कमाल आदि
अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस
थाना–दुधारा, जनपद–संत कबीर नगर

दिनांक–17.06.2026

1- पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

2- प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर संक्षेप में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी जाति का धोबी है। दिनांक-01.04.2026 को समय करीब 07.30 बजे रात्रि में जब प्रार्थी अपने मित्र उदयराज पुत्र स्व० राम अवध निवासी ग्राम पचपोखरी, थाना दुधारा, जनपद संत कबीर नगर की मोटर साइकिल संख्या यू०पी० 58 एल० 2314 से अपने घर के लिये जा रहा था, तो जैसे ही हम प्रार्थी व उपरोक्त मित्र बेला के पहले कब्रिस्तान के आप-पास पहुँचे ही थे, तो वहां पर पहले से ही घात लगाये बैठे विपक्षीगण कामल पुत्र अब्दुल मुत्तलिब, जमाल पुत्र अब्दुल मुत्तलिब एवं अब्दुल मुत्तलिब पुत्र ज्ञान अली निवासीगण ग्राम बेला, थाना दुधारा जिला संत कबीर नगर अपने हाथों में लाठी-डण्डा व सरिया लेकर एवं रंजिशन हम प्रार्थी पर जान से मारने की नियत से धावा बोल दिये और उपरोक्त तीनों विपक्षीगण ने हम प्रार्थी को लात-घुसों एवं लाठी-डण्डा से मारे-पीटे तथा तीनों विपक्षीगण ने अलग-अलग हम प्रार्थी को जातिसूचक भद्दी-भद्दी गालियाँ देते हुए कहे कि साले धोबी की जाति पिछली घटना में तुम्हारे परिवार वाले हमारे परिवार को मारे-पीटे इसलिए आज तुमको यहीं जान से मार डालेंगे। प्रार्थी व मित्र उपरोक्त ने काफी शोर शराबा किया था जिसकी वजह से विपक्षीगण डर वश भाग गये थे। शोर शराबा होने पर प्रार्थी की माता सुभावती एवं गाँव के तमाम लोग आ गये थे। चूंकि विपक्षीगण को पूर्व में ही पता था कि हम प्रार्थी जाति के धोबी हैं, इसी कारणवश विपक्षीगण जातिसूचक गालियों का प्रयोग किये थे। विपक्षी कमाल हम प्रार्थी के साथ घटना करते समय प्रार्थी के पैंट के जेव से 5000/- रुपया नगद लूट लिया था। घटना के संबंध में हम प्रार्थी घटना के संबंध में थाना पर शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर को जरिये रजिस्ट्री दिनांक को प्रेषित किया था, उनके द्वारा भी विपक्षीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह याचना की गई है कि थानाध्यक्ष महुली को

Digitally signed by CHANDRA MOHAN SRIVASTAVA
Date: 2026.06.17 19:58:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आदेशित किया जाय कि वह मुल्जिमानों के विरुध मुकदमा पंजीकृत कर उचित दण्डात्मक कार्यवाही करें।

3– प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक को भेजे गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, रजिस्ट्री रसीद प्रस्तुत की गई है।

4– उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर थाना दुधारा से आख्या आहूत की गई। थाना दुधारा द्वारा प्रार्थना पत्र पर यह आख्या प्रस्तुत की गई है कि आवेदक उपरोक्त व विपक्षी कमाल पुत्र अब्दुल मुत्तलिब, जमाल पुत्रर अब्दुल मुत्तलिब व अब्दुल मुत्तलिब पुत्र शान अली के बीच वर्चस्व आदि को लेकर बराबर आपस में कहा सुनी किया करते है। दिनांक 01.04.2026 को दोनों पक्ष कब्रिस्तान के आस-पास कहा सुनी किये थे। आवेदक द्वारा लाठी-डण्डा, सरिया, लात-घुसा से मारने व भद्दी-भद्दी जातिसूचक गालियाँ देने तथा जेब से 5,000/- रुपया लूट लेने की बात असत्य व झूठा पाया गया। आवेदक द्वारा मनगढ़ंत तरह-तरह का प्रा०पत्र में आरोप लगाया जा रहा, जिसकी कोई सार्थक पुष्टि नहीं हो सकी। दोनों पक्ष बार-बार एक-दूसरे के खिलाफ वर्चस्व को लेकर झूठा आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र देते हैं। किसी प्रकार घटना होने की पुष्टि नहीं हो सकी। आपस में कहा-सुनी किये थे। थाने की आख्यानुसार थाना हाजा पर उक्त के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5– मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में घटना के दिनांक, समय पर अपने मित्र उदयराज के साथ अपने घर के लिए मोटर साइकिल से जाते समय ग्राम बेला से पहले कब्रिस्तान के पास घात लगये विपक्षीगण द्वारा रंजिशन जान से मारने की नियत से लाठी-डण्डा, सरिया से मारने-पीटने, जातिसूचक भद्दी-भद्दी गालियाँ देने व जान से मारने की धमकी देने तथा पैंट की जेब से 5000/- रुपये नगद लूट लेने का कथन किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में, तीनों विपक्षीगण, जो आपस में पिता पुत्र हैं, एक साथ मिलकर लाठी-डण्डा, सरिया से मारने का कथन किया गया है लेकिन प्रार्थी द्वारा कोई आघात आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। यह कदापि संभव नहीं है कि तीन व्यक्ति मिलकर एकसाथ लाठी-डण्डा, सरिया से किसी एक व्यक्ति को मारें और उसे चोट न आये। निःसंदेह यदि प्रार्थी को विपक्षीगण द्वारा लाठी, डण्डा व सरिया में मारा पीटा गया होगा तो निःसन्देह प्रार्थी को उक्त लाठी-डण्डा, सरिया से गंभीर चोटें आयी होंगी और उसे अपना इलाज कराना पड़ा होगा, लेकिन प्रार्थी द्वारा कोई आघात आख्या प्रस्तुत न करना उसके उक्त कथन पर संदेह प्रकट करता है।

6- थाने द्वारा अपनी आख्या में यह अंकित किया गया है कि दोनों पक्ष वर्चस्व आदि को लेकर आपस में कहा-सुनी करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा मामले को गंभीरता प्रदान करने के लिए घटना को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है। मामला मुख्यतः मारपीट व जातिसूचक गालीगलौच का है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से विदित होता है कि उसको घटना के समस्त तथ्य एवं गवाहन के नाम ज्ञात हैं। वह अपने मामले को साबित करने के लिये साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। प्रकरण इस प्रकार का नहीं है जिसमे विवचेना से कोई अन्य तथ्य उदघटित होना शेष हो। प्रस्तुत मामले में पुलिस से विवेचना कराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (क्रिमिनल अपिल संख्या-781/2012 निर्णय दिनांकित 29.03.2015 एवं माननीय उच्च

न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) Scc739) में प्रतिपादित विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-173(4) BNSS परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा जाँच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

7– प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) BNSS परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा-223 BNSS दिनांक-03.07.2026 को पेश हो।

17.06.2026

(चन्द्रमोहन श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
सन्त कबीर नगर।
जे०ओ०कोड–UP01540